International Journal of Advanced Education and Research
www.multidisciplinaryjournals.net
ISSN: 2455-5746
Received: 28-03-2023, Accepted: 14-04-2023, Published: 29-04-2023
Volume 8, Issue 2, 2023, Page No. 1-2

शिक्षा और समानताः भारत में आदिवासी बच्चों के अधिकार "आदिवासी बच्चों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का अधिकारः मुद्दे और चुनौतियां"

डॉ. श्यामलाल[1], लकी कुमार श्रीवास्तव[2]
[1] असिस्टेंट प्रोफेसर, विधि विभाग, श्री वेंकेटश्वरा विश्वविद्यालय, गजरौला, अमरोहा, उत्तर प्रदेश, भारत
[2] शोधार्थी, विधि विभाग, श्री वेंकेटश्वरा विश्वविद्यालय, गजरौला, अमरोहा, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश
भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आदिवासी आबादी है। हालांकि, स्वतंत्रता के सात दशकों के बाद आदिवासी समूह स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सशक्तिकरण आदि जैसे कई क्षेत्रों में विकास के चक्र से वंचित और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इनमें आदिवासी समाज के लिए शिक्षा एक अनिवार्य आवश्यकता है। राज्य और केंद्र सरकारों ने आदिवासी समूहों को शिक्षित करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें से कई कार्यक्रमों ने लक्ष्य का केवल 10 प्रतिशत ही हासिल किया है। बड़ी संख्या में आदिवासी लोग विभिन्न स्तरों पर अपनी शिक्षा से वंचित हैं। अनुसूचित जाति की तुलना में आदिवासी आबादी में उच्च निरक्षरता दर के कारण वे शिक्षा में पिछड़ जाते हैं। इसलिए आदिवासी शिक्षा और समावेशी विकास पर गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है। आदिवासी क्षेत्रों में, हजारों आदिवासी बच्चों ने स्कूल परिसर में प्रवेश भी नहीं किया है, जो अपने आप में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का एक बड़ा उल्लंघन है। भारत के संविधान में ऐसे प्रावधान भी हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, समाज के कमजोर वर्गों, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर असर डालते हैं।

मूल शब्दः शिक्षा, दुनिया, अधिकार,रोजगार, अनुसूचित जनजाति

आदिवासी ऐसा समुदाय है, जिन्हें ऐतिहासिक कारणों से औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से बाहर रखा गया। इन्हें भौगोलिक, सांस्कृतिक, अंतर के आधार पर मुख्य धारा के प्रबल समुदाय के लोगों ने हाशिये पर कर दिया। भारत में जनजातीय बच्चें ऐतिहासिक रूप से शिक्षा सहित संसाधनों और अवसरों तक पहुंच से वंचित रहे हैं। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आदिवासी आबादी है। हालांकि, स्वतंत्रता के सात दशकों के बाद आदिवासी समूह स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सशक्तिकरण आदि जैसे कई क्षेत्रों में विकास के चक्र से वंचित और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इनमें आदिवासी समाज के लिए शिक्षा एक अनिवार्य आवश्यकता है। राज्य और केंद्र सरकारों ने आदिवासी समूहों को शिक्षित करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें से कई कार्यक्रमों ने लक्ष्य का केवल 10 प्रतिशत ही हासिल किया है। बड़ी संख्या में आदिवासी लोग विभिन्न स्तरों पर अपनी शिक्षा से वंचित हैं। अनुसूचित जाति की तुलना में आदिवासी आबादी में उच्च निरक्षरता दर के कारण वे शिक्षा में पिछड़ जाते हैं। इसलिए आदिवासी शिक्षा और समावेशी विकास पर गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है। आदिवासी क्षेत्रों में, हजारों आदिवासी बच्चों ने स्कूल परिसर में प्रवेश भी नहीं किया है, जो अपने आप में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का एक बड़ा उल्लंघन है। भारत के संविधान में ऐसे प्रावधान भी हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, समाज के कमजोर वर्गों, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर असर डालते हैं। जब कोई आदिवासी बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, तो वह अपनी मातृभाषा के अलावा किसी अन्य भाषा से हमेशा अनजान रहता है। आदिवासी बच्चों का राज्य की भाषा से सीमित सम्पर्क होता है और वे अपनी स्थानीय बोली में बोलते हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम राज्य की भाषा होती है। प्रारंभिक वर्षों में जनजातीय भाषा के प्रयोग से जनजातीय बच्चे के लिए आराम की भावना विकसित हो सकती है। यह पहली भाषा होनी चाहिए और आदिवासी संस्कृति, जातीयता, साहित्य और कला के ज्ञान प्राप्त करने के साधन के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। आदिवासी बच्चे ऐसे वातावरण से आते हैं जहां शिक्षा की शायद ही कोई पृष्ठभूमि हो। यह एक आदिवासी बच्चे के परिवार द्वारा सामना की जाने वाली गरीबी के कारण है। आदिवासी बालिका समाज की सबसे उपेक्षित सदस्य है। आदिवासी समुदाय बालिकाओं की शिक्षा को न्यूनतम महत्व देते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में, अनौपचारिक, शिक्षा पर निर्भरता हैं, जिसे औपचारिक शिक्षा की तुलना में अधिक उपयोगी माना जाता है, विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों के समूह तक पहुंचने के लिए सबसे कठिन कार्य होता है। इसलिए सरकार को उन बच्चों को लक्षित करना चाहिए जो आर्थिक और सांस्कृतिक मजबूरियों के कारण औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर हो गए हैं, या जो सामाजिक–आर्थिक कारणों से फिर से प्राणाली से बाहर हो गए हैं, क्योंकि उन्हें प्राथमिक स्कूली शिक्षा आकर्षक नहीं लगती है।

साहित्य की समीक्षा

शिक्षा एक मौलिक मानव अधिकार है और मानव प्रगति के लिए राष्ट्रीय निर्माण का आवश्यक तत्व है। यह आमतौर पर विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहमत होता है, जिससे आर्थिक और सामाजिक रुप से वंचित लोग गरीबी से बच जाते हैं और नागरिकों के रूप में पूरी तरह से भाग लेते हैं। शिक्षा और साक्षरता सामाजिक और आर्थिक विकास और आदिवासी समुदायों की आंतरिक शक्ति के प्रबल संकेतक हैं। जनजातीय विकास सरकार, स्वयंसेवी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और समाज सुधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय रहा है और इसका अध्ययन कुछ सम्पन्न व्यक्तियों के विकास के साथ अलग–अलग नहीं किया जाना चाहिए। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने जोर देकर कहा कि शिक्षा सर्व–समावेशी आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मापदंड है। समाज के सभी वर्गों का समावेशी विकास का एक अनिवार्य पहलू है। इसे देखते हुए समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को एक साथ लाना अनिवार्य है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के मौलिक अधिकार के रूप में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। सभी मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में से लगभग 80 प्रतिशत सरकार द्वारा संचालित या वित्त पोषित हैं, जिनमें वे देश के सबसे बड़े शिक्षा प्रदाता बन गए हैं। हालांकि, साक्षरता और शिक्षा के मामले में जनजातियाँ सामान्य आबादी और अनुसूचित जाति के आबादी से पीछे थी।

भारत के स्वदेशी समुदायों को आमतौर पर आदिवासी समुदायों के रूप में जाना जाता है और भारत के संविधान के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। यद्यपि संविधान इन समुदायों को उन समुदायों के रूप में नामित करता है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार निर्धारित है। अनुच्छेद 342 के अनुसार, अनुसूचित जनजाति उस जनजातीय समुदाय का हिस्सा है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से घोषित किया गया है।

जनजातीय शिक्षा के चुनौतीपूर्ण मुद्दे

जनजाति समाज स्थिर है और समुदाय में सामाजिक परिवर्तन बहुत धीमा है, क्योंकि वे वह आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। आज सभी विकासशील देशों की सरकारें जनजातियों के विकास पर विशेष ध्यान देती है। जनजातियों के आर्थिक और शैक्षिक प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों द्वारा ईमानदारी से प्रयास किए गए हैं। देश में कई आदिवासी कल्याण कार्यक्रमों को तीन मुख्य क्षेत्रों में बांटा जा सकता हैः– सुरक्षात्मक (संवैधानिक अधिकार, विद्यायी अधिकार) लामबंदी (राजनीति, शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण) और विकास (आर्थिक, सामाजिक विकास जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य) 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसमें आदिवासी क्षेत्रों में अधिक प्राथमिक विद्यालय बनाना और आदिवासी बच्चों के आवासीय विद्यालय बनाना शामिल है। सभी पंचवर्षीय योजनाओं में वंचित समूहों की शैक्षिक

असमानताओं को कम करने के उद्देश्य से शिक्षा नीतियों को भी देखा गया है। दूसरे शब्दों में, विभिन्न शिक्षा नीतियों और नीति कार्यक्रमों का उद्देश्य जनजातीय समुदायों की साक्षरता दर को बढ़ाना रहा है। फिर भी, निरक्षरता दर के संदर्भ में, शिक्षा में जनजातियों का प्रदर्शन अनुसूचित जातियों की तुलना में बहुत कम है, विकास का वांछित स्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। एक अध्ययन में आदिवासियों में ड्रॉप आउट का 70.9 प्रतिशत पाया गया है। इसके अलावा, इन समुदायों के लगभग 87 प्रतिशत प्रमुख श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों में लगे हुए थे। अनुसूचित जनजातियों की तीन–चौथाई से अधिक महिलाएं अशिक्षित हैं। इसलिए भारत प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से बहुत दूर है। नई शिक्षा नीति 2020 में आदिवासी बच्चों के शैक्षिक उन्नति के लिए कदम उठाए गए हैं, जिसके लिए कई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

- यह अधिनियम किसी कारणवश प्रारंभिक शिक्षा छोड़ देने वाले बच्चों को उनके आयु अनुरूप उपयुक्त कक्षा में पुनःप्रवेश देने का प्रावधान करता है और साथ ही उनके विशेष प्रशिक्षण या अतिरिक्त शिक्षण का भी प्रावधान किया गया है, ताकि उन्हें अन्य बच्चों के समकक्ष लाया जा सके।
- इसका कार्यान्वयन सामान्य रूप से और जनजातीय बच्चे के संदर्भ में विशेष रुप से करना सरकार के लिए एक कठिन कार्य है।
- एक जनजातीय बच्चे को उसकी आयु अनुरूप उपयुक्त कक्षा में प्रवेश देने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ऐसा अन्य छात्रों के अध्ययन की कीमत पर होगा।
- अध्यापक और जनजातीय बच्चों को पढ़ाने का तरीकाः आदिवासियों के सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम विकास और निर्देशात्मक सामग्री के उपयोग के अधिक प्रयास नहीं किए गए हैं।

शिक्षा मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य के रूप में

86वाँ संशोधन अधिनियम 2002–इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया जिसके अधीन 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। इसके द्वारा अनुच्छेद 45 के स्थान पर एक नया अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया गया जिसमें यह कहा गया कि राज्य सभी बालकों, जब तक कि वे 6 वर्ष के नहीं हो जाते, के देखभाल और शिक्षा के लिए उपबन्ध करेगा। साथ ही अनुच्छेद 51 (क) में एक नया मूल कर्तव्य बनाने के लिए खण्ड (ट) जोड़ा गया। जिसमें यह प्रावधानित है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के माता–पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षको का कर्तव्य होगा कि वे उन्हें शिक्षा का उचित अवसर प्रदान करें।

मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में

अपने ऐतिहासिक महत्व के निर्णय में अभिनिर्धारित किया है कि शिक्षा पाने का अधिकार इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। अतः अनुसूचित जनजातियों का भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और सरकार का यह दायित्व है कि उनकी शैक्षिक उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार के योजनाओं को लागू करे, जिससे उनकी शैक्षिक उन्नति हो सके।

आवासीय विद्यालय और जनजाति

प्रभावी रूप से आदिवासियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के एक तरीके के रूप में सरकार वर्ष 1950 से लेकर वर्तमान नीति तक प्रमुख स्थानों पर उनके लिए आवासीय विद्यालय और छात्रावास खोल रही हैं। आश्रम स्कूल एकलव्य मॉडल स्कूल और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इस दृष्टिकोण से संचालित प्रमुख योजनाएं हैं।

जनजातीय शिक्षा में समकालीन चिंताएं

- उच्च ड्रॉपआउट दरः विशेष रूप से माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक चरणों में जनजातीय छात्रों के बीच विद्यालय छोड़ने की दर बहुत अधिक है (स्कूल शिक्षा के आंकड़े 2010–11 के अनुसार दसवीं कक्षा में 73 प्रतिशत 11वीं कक्षा में 84 प्रतिशत और 12वीं कक्षा में 86 प्रतिशत)
- शिक्षा अधिकार अधिनियम के पहले और उपरान्त कार्यान्वित 'नो–डिटेंशन' पॉलिसी जनजातीय समुदाय के छात्रों को पढ़ने, लिखने और अंकगणित में बुनियादी कौशल हासिल करने का अवसर नहीं देता। पृष्ठभूमि शिक्षा की यह अनुपस्थिति भी ड्रॉपआउट का एक कारण है।
- 'गुणवत्तायुक्त' शिक्षकों की कमीः शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित पात्रता मापदंड को पूरा करने वाले शिक्षकों की कमी भी जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के अधिकार की पूर्ति में एक बाधा है। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी के कारण जनजातीय छात्रों की उपलब्धि का स्तर कम रहता है।

जनजातीय छात्रों के लिए भाषाई बाधाएँ

भारत में अधिकांश जनजातीय समुदायों की अपनी मातृभाषा है, लेकिन अधिकांश राज्यों में, कक्षा शिक्षण के लिए अधिकारिक/क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग किया जाता है, जिन्हें प्राथमिक स्तर पर जनजातीय बच्चे नहीं समझ पाते।

घुमंतू जनजातियों की शिक्षा

घुमंतू जनजातियाँ, मौसम, व्यवसायों और आजीविका के अवसरों के आधार पर लगातार एक दूसरे से दूसरे स्थान की ओर गमन करती रहती हैं। इस कारण इस समुदाय के बच्चे प्राथमिक स्तर की स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

निष्कर्ष और सुझाव

भारत जैसे कई विकासशील देशों में जनजातीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा है फिर भी, वे अभी भी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत पीछे हैं, जैसे कि अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सशक्तिकरण और बहुत कुछ, इनमें से आदिवासी सामाज के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण मूलभूत आवश्यकता है। चूंकि अनुसूचित जनजाति शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक वंचित और उत्पीड़ित समुदायों में से एक है, इसलिए उन्हें प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। हाल के वर्षो में, केंद्र और राज्य सरकारें अपनी शैक्षिक स्थिति में सुधार के लिए विशेष ध्यान दे रही हैं। आदिवासी लोगों की शैक्षिक पहुंच और असमानता शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के बीच महत्वपूर्ण शोध मुद्दे रहे हैं। हालांकि, परिणाम उम्मीदों से बहुत दूर है इसलिए आदिवासी शिक्षा और समावेशी विकास के बारे में गंभीरता से सोचने का समय आ गया है। इस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी विशेषक शीर्षक से सम्बन्धित साहित्य, भारत में आदिवासी शिक्षा की स्थिति और चुनौतीपूर्ण मुद्दों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. बगई, एस०, और नंदी, एन० (2009)। आदिवासी शिक्षाः एक अच्छा संतुलन।
2. ब्रह्मनन्दम, टी०, और बोस बाबू, टी (2016)। अनसूचित जनजातियों के बीच शैक्षिक स्थितिः मुद्दे और चुनौतियॉ।
3. प्रधान एस०के० (2011) भारत में जनजातीय शिक्षा की समस्यायें।
4. देसाई एस०, कुलकर्णी वी0 (2008)। सकरात्मक कार्रवाई की जनसांख्यिकी के सन्दर्भ में भारत में शैक्षिक असमानताओं को बदलना।
5. वर्मा एम०एम० (1996)। भारत में जनजातीय विकासः कार्यक्रम और परिप्रेक्ष्य : मित्तल प्रकाशन नई दिल्ली।
6. भारत सरकार (1986) शिक्षा पर राष्ट्रीय निति। नई दिल्ली : मानव संसाधन विकास मंत्रालय।
7. गोयल पी० 2016 शिक्षा के नाम पर उपेक्षा और शोषण। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक।
8. भट्टी, के (1998) भारत में शैक्षिक अभावः क्षेत्र की जांच का एक सर्वेक्षण। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक।
9. डॉ0 पाण्डेय जय नारायण, भारत का संविधान 50वां संस्करण 2017।
10. डॉ0 चतुर्वेदी मुरलीधर भारत का संविधान, 14वां संस्करण 2010। शर्मा ब्रजकिशोर, भारत का संविधानः एक परिचय, 13वां संस्करण 2019।